IJASRM

International Journal of Advanced Scientific Research and Management, Special Issue 5, April 2019

www.ijasrm.com

ISSN 2455-6378

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के छात्र–छात्राओं के लिए (केंद्रीय प्रायोजित आर्थिक योजना के विशेष संदर्भ में)

सुनीता पन्द्रों
म.ए.(नेट) समाज–शास्त्र बरकतउल्ला वि. वि. भोपाल

शोध सारांश :–

वर्ष 1962–63 के दौरान शुरू की गई लड़कियों (छात्राओ) के छात्रावासों की यह योजना अनुसूचित जनजातियों के लड़कियों (छात्राओ) में शिक्षा का प्रसार करने के लिए एक आर्थिक योजनाऐं लाभदायक है। इस योजना के अंतर्गत नए छात्रावास भवनों के निर्माण तथा विधमान छात्रावासों के विस्तार के लिए राज्य संघराज्य छात्रों के केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। जहां छात्रावासों भवनों और या मौजूदा छात्रावासों के विस्तार के निर्माण की लागत को केंद्र और राज्य के बीच 50:50 के अनुपात बराबर बराबर वहन किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में भवन की पूरी लागत केंद्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है। छात्रावास के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य संघ छात्रों की जिम्मेदारी होती है। इसमें स्कूल और विश्वविद्यालय कॉलेज स्तर दोनों के छात्रावास शामिल है।

1. **अनुसूचित जनजातियों के लड़कों (छात्रों) के छात्रावास (केंद्रीय प्रायोजित आर्थिक योजना)** :–यह योजना 1989 से 90 में शुरू की गई थी इस योजना के उद्देश्य शर्तें तथा सहायता की पद्धति छात्रावास भवनों एवं मौजूदा छात्रावास के विस्तार के निर्माण की लागत को केंद्र और राज्य में 50:50 अनुपात बराबर वहन किया जाता है।

2. **जनजातिय उप योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना में (केंद्रीय प्रायोजित योजना)** :–आश्रम स्कूल की योजना वर्ष 1990 से 91 में शुरू की गई थी इसमें अनुसूचित जातियों के लिए रिहायसी स्कूल की स्टाफ क्वार्टरों सहित स्थापना का प्रावधान है। जिससे कि उन्हे पढ़ने के लिए अच्छा वातावरण मिल सके निर्माण की लागत 50 अनुपात 50 के अनुपात में राज्यों के साथ शेयर की जाती है। जब कि संघ राज्य क्षेत्रों को शत–प्रतिशत सहायता दी जाती है। आनुरक्षण का खर्च संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वहन किया जाता है। योजना में प्राइमरी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की शिक्षा देना शामिल है।

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण :–

जनजातीय अनुसंधान संस्थान को अनुदान :– यह योजना 1951 में शुरू की गई थी जनजातीय अनुसंधान संस्थान 14 राज्यों में स्थापित किए गए है। इन संस्थानों में जनजातियों के बारे में विभिन्न विषयों पर अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन विचार गोष्ठियों कार्यशाला आयोजित की जाती है। तथा राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रशिक्षण व दिशा निर्देश दिए जाते है। तथा जनजातीय उप योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है। बहुत से संस्थानों में जनजातीय लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए जनजातीय संग्रहालय भी है। भोपाल मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय है। इस योजना के अंतर्गत 50:50 के आधार पर अनुदान दिए जाते हैं। ताकि इन संस्थानों को चलाया जा सके वह उन का अनुरक्षण किया जा सके

अखिल भारतीय अथवा अन्य राज्यों या स्वरूप की परियोजनाओं को समर्थन देना (अनुसूचित

IJASRM

International Journal of Advanced Scientific Research and Management, Special Issue 5, April 2019

www.ijasrm.com

ISSN 2455-6378

जनजाति) :–वर्ष 1979–80 में शुरू की गई इस योजना का संबंध अनुसंधान और मूल्यांकन पर योजनाओं को अनुदान देने से है। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों के विभिन्न पहलुओं के बारे में अनुसंधान करने और उनका मूल्यांकन करने वाले गैर सरकारी संगठनों सरकारी संस्थानों और विश्वविद्यालयों को 8–12 महीने की अवधि के लिए प्रति परियोजना 2.50 लाख रूपय का अनुदान दिया जाता है।

जनजाति के छात्र/छात्राओं को दिल्ली में उच्च श्रेणी–

विभाग द्वारा जनजाति के छात्र/छात्राओं को दिल्ली में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु आवासीय एवं भोजन व्यवस्था के लि प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष देय राशि रूपये 20,600/– के स्थान पर राशि में वृद्धि करते हुए आवासीय एवं भोजन व्यवस्था के लिए एक मुश्त अनुदान प्रतिमाह रूपये 10,000/– के मान से प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष राशि रूपये 1,20,,000/– स्वीकृत की गयी हे।

राज्य छात्रवृत्ति–

विभाग अन्तग्रत राज्य छात्रवृत्ति योजना (10 माह हेतु) संचालित है जो कि कक्षा 1 से 10 तक निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	बालक (वार्षिक)	बालिका (वार्षिका)
कक्षा 1 से 5	250/– (केवल विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों के लिए)	250/–
कक्षा 6 से 8	200/–	600/–
कक्षा 9 से 10	600/–	1300/–

राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 01 से 10 एवं पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं 12वीं का वितरण वर्ष 2013–14 से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष 2017–18 में छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत निम्नानुसार राशि आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय के बी.सी.ओ.कोड 2003 में अंतरित की गई। इसी प्रकार विभाग अंतर्गत, जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों/माता पिता की वार्षिक आय 2.00 लाख से कम है, उन विद्यार्थियो के लिए केन्द्र प्रवर्तित प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भी (कक्षा 9वीं, 10वीं) संचालित है

वर्ष 2017–18

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	आवंटित राशि
1	6175 राज्य छात्रवृत्ति	9000.00
2	2676 पो.मे. छात्रवृत्ति	3000.00
3	1392 राज्य छात्रवृत्ति	1800.00
		2000.00
		1000.00
		5000.00

4	8805 प्राथमिक स्तर के बालक/बालिकाओं को छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 5)	820.00 750.00 1450.00
5.	8844 कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन कक्षा 11वीं	350.00 240.00 400.00
	योग	**25810.00**

IJASRM

International Journal of Advanced Scientific Research and Management, Special Issue 5, April 2019

www.ijasrm.com

ISSN 2455-6378

राज्य/केन्द्र छात्रवृत्ति योजना "कक्षा 01 से कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन" योजना की प्रगति :–

वर्ष	लाभान्वित विद्यार्थी	व्यय राशि (लाख में)
2016–17	2026729	22514.00

वर्ष 2013–14 से राशि आयुक्त, लोक शिक्षण के बी.सी.ओ. में (कक्षा 01 से, 11वीं एवं 12वीं) स्थानांतरित की जा रही है, वितरण हेतु नोडल अधिकारी आयुक्त, लोक शिक्षण है।

कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना (राज्य योजना मद अंतर्गत) :'–

अ. शासकीय एवं शासकीय स्ववित्त पोषी शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का बंधन समाप्त किया जाकर निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था की गई।

ब. अशासकीय संस्थानों में अध्ययनरत इस वर्ग में विद्यार्थियों के अभिभावाकों/माता पिता जिनकी वार्षिक आय रू. 6.00 लाख तक है, उन्हें प्रवेश एवं फीस नियामक समिति एवं निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की गई वास्तविक शैक्षणिक शुल्क का भुगतान विद्यार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।

वर्ष 2017–18 में राशि रू. 248 करोड़ के विरूद्ध माह दिसम्बर 2017 तक 75. 34 करोड़ की राशि व्यय की जाकर 78866 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2018–19 में राशि रू. 200 करोड़ के विरूद्ध 287000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति योजना –

उद्देश्य –

अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों में गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 50 छात्र/छात्राओं को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति प्रदान की जाति है। विदेश से शिक्षा प्राप्त करने हेतु अभ्यार्थी को निम्न वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है :–

1. प्रतिवर्ष वास्तविक शिक्षण शुल्क अथवा 40000 यू.एस. डॉलर वार्षिक जो भी कम हो का भुगतान सीधे विश्वविद्यालय को किया जावेगा।

2. आकस्मिकता भत्ता अधिकतम 1000 यू.एस. डॉलकर वार्षिक देय होगा।

3. इसके अतिरिक्त वीजा शुल्क, पोलटेक्स शुल्क एवं बीमा प्रीमियम, निवास स्थान से विमानपतन तक जाने एवं वापसी का द्वितीय श्रेणी का रेल/बस किराया एवं शैक्षणिक संस्थान के निकटतम स्थान तक वायु मार्ग से जाने एवं वापसी का इकोनोमी क्लास का वास्तविक किराया देय होगा।

(राशि लाखों में)

वर्ष	व्यय	उपलब्धियाँ
2016–17	146.12	05
2017–18	126.82 (दिसम्बर 2018)	03

IJASRM

International Journal of Advanced Scientific Research and Management, Special Issue 5, April 2019

www.ijasrm.com

ISSN 2455-6378

2018–19	50 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।	–

बोर्ड परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति :–

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियो के बोर्ड परीक्षा शुल्क की राशि विभाग द्वारा मंडल को भुगतान की जाती है :–

(राशि रूपये लाख में)

क्रमांक	वर्ष	प्रावधान	व्यय	लाभान्वित संख्या
1	2016–17	140.00	126.00	56149
2	2017–18	140.00	126.00	–

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

म.प्र. प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक, मुख्य एवं साक्षात्कार में सफल होने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु "सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहन" योजना संचालित की जा रही है।

(अ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले जनजातीय वर्ग के अभ्यर्थियों को :–

प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 40,000/–

मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 60,000/–

साक्षात्कार उपरांत सफल होने पर 50,000/–

अखिल भारतीय सिविल सेवा में उपरोक्तानुसार प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता के लिए आय सीमा बंधन नहीं होगा।

(ब) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले जनजातीय के सफल प्रतियोगियों को जिनके माता–पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 8.00 लाख से अधिक न हो, को :–

प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20,000/–

मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30,000/–

साक्षात्कार उपरांत सफल होने पर 25,000/–

दूसरी बार सफलता प्राप्त करने अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित राशि की 50 प्रतिशत राशि देय होगी।

वर्ष	व्यय (राशि रू. लाखों में)	उपलब्धि (अभ्यर्थी)
2016–17	280.53	1403
2017–18	99.98	498
2018–19	500 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।	

IJASRM
International Journal of Advanced Scientific Research and Management, Special Issue 5, April 2019
www.ijasrm.com
ISSN 2455-6378

अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग

- अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, इस हेतु दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग दिलाये जाने हेतु अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा के लिये निजी कोंचिंग योजना स्वीकृत की गई है।

- अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे आवेदकों को, जो कि म.प्र. लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुये हों (विगत 3 वर्षों में कभी भी), को योजना का लाभ लेने के लिये प्रथमतः सीधे चयनित किया जावेगा, तथा शेष सीटों के लिये जो आवेदक स्नातक उत्तीर्ण हैं, उनके लिये संकायवार सूची तैयार कर कला, वाणिज्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग समूह एवं चिकित्सा समूह हेतु स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर, मेरिट के आधार पर लक्ष्य अनुसार समान अनुपात में चयन किया जावेगा। किसी संकाय में आवेदन कम प्राप्त होने पर उनकी रिक्त सीट अन्य संकायों में समान रूप से अंतरित की जावेगी। योजनांतर्गत पात्र अभ्यर्थियों की समस्त स्त्रोतों से आय सीमा रू. 6.00 लाख से अधिक न हो।

- योजनांतर्गत प्रतिवर्ष 100 अभ्यर्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

- दिल्ली स्थित 04 इम्पेंनल्ड कोचिंग संस्था (1. दृष्टि द विजन, 2. अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम, 3. बाजीराम एण्ड रवि, 4. श्रीराम आई.ए.एस.) में किसी एक कोचिंग संस्था में अभ्यर्थी प्रवेश ले सकते है। कोचिंग संस्था का चुनाव अभ्यर्थी स्वयं करेंगे।

- योजना नियम अनुसार पात्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु इम्पेनल्ड् कोचिंग संस्था के माध्यम से अधिकतम 18 माह की कोचिंग दिलाई जायेगी।

- अभ्यर्थियों को शिष्यवृत्ति, परिवहन सुविधा, आवास सुविधा, भोजन सुविधा हेतु सहायता राशि रू. 12,500/– प्रतिमाह तथा पुस्तकों हेतु राशि रू. 15,000/– (एक बार) सहायता राशि प्रदान की जाती है।

- कोचिंग फीस अधिकतम राशि रूपये 2.00 लाख देय होगी।

- कोचिंग संस्थानों को कोचिंग शुल्क का भुगतान सीधे विभाग द्वारा किया जायेगा।

वर्ष	व्यय (राशि रू. लाखों में)	उपलब्धि (अभ्यर्थी)
2016–17	75.06	48
2017–18	57.92 (दिसम्बर 2017 तक)	61
2018–19	100 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।	

सेटेलाईट के माध्यम से शिक्षा योजना –

सुदूद आदिवासी अंचलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने एवं अध्ययन अध्यापन में तकनीक का प्रयोग कर शिक्षा के स्तर में सुधार करने हेतु योजनांतर्गत चयनित 50 शैक्षणिक संस्थाओं को एस.आई.टी. केन्द्र, (सेटेलाईट इन्टरेक्टिव टर्मिनल) बनाया गया है। ये 50 एस.आई.टी. केन्द्र विभाग के विशिष्ट विद्यालयों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (08), आदर्श विद्यालय (02), कन्या शिक्षा परिसर, क्रीड़ा परिसर (05), उत्कृष्ट विद्यालय (23), उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (12) में संचालित है। सेटेलाईट के माध्यम से मुख्यालय स्थित टीचिंग एड भोपाल से विभागीय 50 एस.आई.टी. केन्द्रों में द्विमार्गी आडियो, वीडिया (टू.वे.वीडियो) पद्वति अंतर्गत

विषय विशेषज्ञों द्वारा, ईसरों द्वारा उपलब्ध कराई गई सी.डी. के माध्यम से, रिकार्डिंग वीडियो द्वारा सीधे प्रसारण करके, विषय वस्तुत का शिक्षण एवं प्रशिक्षण कराये जाने का उद्देश्य है। एस.आई.टी. केन्द्रों में प्रसारण के दौरान प्रतिदिन 2500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है।

आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग भोपाल में स्थापित टीचिंग एड कक्ष से प्रतिदिन प्रातः 10.00 से 2.00 बजे तक शैक्षणिक प्रसारण किया जाता है। जिसके लिये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार पाठयक्रम का समयबद्ध प्रसारण के लिये शैक्षणिक व्याख्यान आयोजित करवाया जाता है।

मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना हेतु मेपसेट को अनुदान :–

आदिवासी बाहुल्य जिलों में युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अंतर्गत विभागीय 09 प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र पूर्व से संचालित 10 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (भारत सरकार से वित्त पोषित), 28 नवीन व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र कुल 47 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये शिक्षित अथवा कम पढे लिखे बेरोजगार आदिवासी युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं उनके तकनीकी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से रोजगारोन्मुखी योजना संचालित की जा रही है। विगत वर्षों में यह योजना युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के माध्यम से संचालित की जा रही थी। वित्तीय वर्ष 2017–18 से यह योजना नवीन स्वरूप में "मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना हेतु मेपसेट को अनुदान" मेपसेट के माध्यम से संचालित होगी। योजनांतर्गत प्रतिवर्ष 2000 युवाओं को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया।

(राशि रू. लाखों में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय	लक्ष्य	उपलब्धि (अभ्यार्थी)
2016–17	800.00	358.09	10000	3979

अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण

विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशासकीय कार्य कुशलता में वृद्धि किये जाने के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जाते हैं इसी प्रकार विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिये प्रतिष्ठित शासकीय संस्थाओं के माध्यम से विषयवार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाना योजना का उद्देश्य है।

IJASRM

International Journal of Advanced Scientific Research and Management, Special Issue 5, April 2019

www.ijasrm.com

ISSN 2455-6378

शैक्षणिक संस्थानओं के भवनों का निर्माण कार्य

राज्य शासन के बजट में छात्रावास, आश्रम शाला, एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है।

वर्ष 2016–17 में स्वीकृत कार्य एवं पूर्व वर्षों के स्वीकृत पूर्ण हुये कार्यों की जानकारी –

क्र.	भवन का प्रकार	स्वीकृत संख्या	प्रति भवन लागत राशि लाखों में	कुल लागत राशि लाखों में	वर्ष 2017–18 में पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या
1	आश्रम	20	135.00	2700.00	4
2	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	40	143.00	5720.00	22
		2	148.00	296.00	
3	छात्रावास	30	134.66	4039.80	9
4	कन्या शिक्षा परिसर	65	2746.94	178551.10	0
5	क्रीड़ा परिसर	3	1436.00	4308.00	0

वर्ष 2018–19 में प्रस्तावित कार्य

क्र.	भवन का प्रकार	स्वीकृत संख्या		योग	प्रति भवन लागत राशि लाखों में	कुल लागत राशि लाखों में
		राज्य मद में	केन्द्र मद में			
1	आश्रम	15	20	35	135.00	4725.00
2	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	65	0	65	157.00	10205.00
3	छात्रावास					
	जूनियर	16	0	16	185.00	2960.00
	सीनियर	71	30	101	206.47	20853.47
	महाविद्यालयीन	47	15	62	206.47	12801.14
4	कन्या शिक्षा परिसर	15	0	15	2746.94	**41204.10**

अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना –

अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/बस्ती/वार्ड में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना यथा – समुचित पेयजल, विद्युत व्यवस्था आंतरिक क्षेत्रों में पक्की सड़के, नाली निर्माण मुख्य सड़क से अनुसूचित जनजाति बस्ती/ग्राम तक सड़क, पुलिया, रपटा,

IJASRM
International Journal of Advanced Scientific Research and Management, Special Issue 5, April 2019
www.ijasrm.com
ISSN 2455-6378

निर्माण, सामुदायिक भवनों का निर्माण (सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोह आदि) के लिये जिलों को राशि उपलब्ध कराई जाती है। म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ 23–15/2005/3 –25 दिनांक 07.06.17 द्वारा मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतिकरण योजना 2017 के नवीन नियम जारी किये गये है।

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के प्रावधान एवं व्यय निम्नानुसार है :–
(राशि रूपये लाख में)

क्र.	वर्ष	प्रावधान	व्यय	कार्य संख्या
1	2016–17	7800.81	6203.31	1120
2	2017–18 (दिसम्बर 2017 तक)	12500.00	6116.56	–

प्रतिभाशाली आदिवासी छात्र–छात्राओं के लिए नेतृत्व विकास शिविर आयोजन –

प्रतिवर्ष 23 जनवरी से 28 जनवरी तक भोपाल में यह शिविर आयोजित किया जाता है। प्रत्येक जिलें में कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक बालक तथा एक बालिका को आमंत्रित किया जाता है। विशेष पिछड़ी जनजाति के 15 जिलों से विशेष पिछड़ी जनजाति के 10वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्रापत करने वाले एक–एक विद्यार्थी को भी इस शिविर में सम्मिलित किया जाता है।

राज्य स्तरीय नेतृत्व विकास शिविर 2017 में समस्त 51 जिलों में 102 छात्र–छात्राओं तथा 15 पी.टी.जी. जिलों में 30 छात्र–छात्राओं को आमंत्रित किया गया था दिनांक 22 जनवरी 2017 तक के नेतृत्व विकास शिविर में जनजातीय वर्ग के 47 छात्र एवं 46 छात्राओं तथा विशेष पिछड़ी जनजाति समूह वर्ग के 08 छात्र एवं 08 छात्राओं के भाग लिया।

मध्यप्रदेश विकास दर्शन यात्रा 2017 में समस्त 51 जिलों में 102 महिला एवं पुरूष तथा प्रदेश से एक महिला एवं एक पुरूष को गणतंत्र दिवस समारोह 2017 नई दिल्ली हेतु आमंत्रित किया गया था। दिनांक 25.01.17 से 27.01.17 तक आयोजित में वर्ष 2017 में 27 पुरूष आदिवासी प्रतिनिधि तथा 20 महिला आदिवासी प्रतिनिधियों में भाग लिया।

गणतंत्र दिवस समारोह 2017 नई दिल्ली हेतु शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा ग्वालियर जिले से जनजाति के एक महिला तथा एक पुरूष का चयन कर दिनांक 22 जनवरी से 3 फरवरी तक गणतंत्र समारोह में भाग लेने हेतु नई दिल्ली भेजा गया।

नेतृत्व विकास शिविर 2018 –
राज्य स्तरीय नेतृत्व विकास शिविर 2017–18 में समस्त 51 जिलों से 102 छात्र–छात्राओं तथा 15 पी.टी.जी. जिलों से 30 छात्र–छात्राओं को आमंत्रित कर लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

मध्यप्रदेश विकास दर्शन यात्रा 2018 में समस्त 51 जिलों से 102 महिला–पुरूष तथा प्रदेश से एक महिला एवं एक पुरूष को गणतंत्र दिवस समारोह 2018 नई दिल्ली हेतु आमंत्रित कर लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

सुझाव
जन जाति विकास के विभिन्न पहलुओं में रिसर्च फेलोशिप अवार्ड डॉक्टोरलरोल पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप :– जो विद्यार्थी रिसर्च स्कॉलर जनजाति विकास कार्यक्रमों संस्थाओं पर काम करने के लिए विश्वविद्यालय के साथ पंजीकृत है। उन्हे रिसर्च फैलोशिप के रूप में 100: अनुदान दिया जाता है। डॉक्टर ऑल और पोस्ट डॉक्टर ऑल पाठ्यक्रम फैलोशिप की दरें क्रम से 2832/3200 रुपये प्रतिमाह और 10000 वार्षिक आकस्मिकता अनुदान भी दिया जाता है। अब पीएचडी स्कॉलर रिसर्च स्कॉलर को 16,000 प्रतिमा की छात्रवृत्ति फैलोशिप दी जाती है। यूजीसी नेट उत्तीर्ण पात्र उम्मीदवार को भी यूजीसी द्वारा 2 वर्ष की अनुदान राशि दी जाती

IJASRM

International Journal of Advanced Scientific Research and Management, Special Issue 5, April 2019

www.ijasrm.com

ISSN 2455-6378

है।

निष्कर्ष :–मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को केंद्रीय प्रायोजित योजना से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फेलोशिप की दरें मंत्रालय के फैलोशिप से लगभग दुगनी है। क्या मंत्रालय आयोग की तुलना में गरीब है। या मंत्रालय जाता है। कि कम सक्षम शोध छात्र **जो आयोग की फेलोशिप जाने में सफल नहीं होते तथा संभव तथा शोध** के साथ न्याय ना कर पाएंगे इस फैलोशिप के लिए उचित है। प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल, हाईस्कूल, हायरसेकेंडरी, एवं महाविद्यालय, स्नातक, स्नाकोत्तर, छात्र–छात्राओं के लिए भी आश्रम छात्रावास एवं छात्रवृत्ति प्रतिभावान फैलोशिप मध्य प्रदेश जनजाति छात्र एवं छात्राओं को दी जाती है।

"जन आदिवासी जग उठेगा तब वह बोलेगा जय जोहार का हो मतलब है। प्राकृतिक की जय"

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. संपदा मध्यप्रदेश की जनजातियां संस्कृतिक परंपरा का साक्ष्य (संपादक) डॉ. कपिल तिवारी सहा संपादक आशीष मिश्रा 2010 प्रकशक आदिवासी लोग कला अकादमी मध्यप्रदेश संस्कृतिक परिषद भोपाल।

2. आदिवासियों में एक रहन–सहन :–राही वर्ष 2015 प्रकाशक पहले–पहले भोपालदृ ैप्ठछण् 978.93.92219.64.2

3. राय.के.एल 1991 मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विकास में जिला प्रशासन की भूमिका शिवपुरी जिले के विशेष संदर्भ में शिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर राजनीति शास्त्र

4. मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग प्रशासकीय प्रतिवेदन (2017–18)

5. आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश ''प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष (2002–2003)